न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, रानी, जिला– पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– रवि कांत सिंह (R.A.S.)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 08/2021
तारीख फैसला–31/03/2022

प्रार्थी :–

धनाराम पुत्र देवाराम , जाति– घांची, निवासी– रानी खुर्द, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

2– भूमिधारी तहसीलदार, रानी, जिला– पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

श्री दिनेश कुमार वकील प्रार्थी की ओर से।
सरकारी पैरोकार अप्रार्थी की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक–31/03/2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा– 251–क की उपधारा–(1) के अधीन भूमि गत पाईप लाईन बिछाने की अनुज्ञा के लिये इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– ग्राम– रानी खुर्द, पटवार हल्का रानी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र रानी, तहसील– रानी जिला– पाली मे खसरा नं0– 195 रकबा– 3.9700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर– 205 रकबा– 1.9400 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नं0– 221 रकबा– 2.8700 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज है प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी भूमि के खसरा नं0– 221 मे कुआ व टयूब वेल खुदा हुआ है, जो चालु हालत मे है। जिसमे प्रार्थी के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन लिए हुए है, जिसकी खाता संख्या– 1501/0066 (कुएं पर 7.5 एच.पी.) व 1501/0235 (ट्यूबवेल पर 10.00 एच.पी.) है। ग्राम रानी खुर्द भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र रानी तहसील रानी में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु [illegible] नं0– 187 गै.मु. रास्ता 192 गै.मु. रास्ता, 195 चाही प्रथम जाव अव्वल [illegible] बारानी दोयम मे भूमि गत पाईपलाईन बिछाने हेतु जो नक्शे मे भूमिगत पाईपलाईन बि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:22 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 2 पर..........

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

हेतू सबसे निकटतम रेकर्ड सुदा रास्ता व कृषि भूमि आई हुई है। इस खसरा नं0– 187, 192, 195, 217 मे से होकर प्रार्थी खसरा नं0– 195, 205 खसरा नं0– 221 मे स्थित कुए व ट्यूबवेल से पानी सिंचाई हेतु ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाह रहा है, जो प्रार्थी के लिए अति आवश्यक प्रकृति का मामला है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि सलंग्न नजरिये नक्शे मे दर्शाये खसरा नम्बर– 187, 192, 195, 217 के ए, बी, सी, डी, ई, व एफ भाग मे से प्रार्थी के खसरा नं.– 221 में स्थित कुए व ट्युब वेल से खसरा नं.– 195, 205 में सिंचाई हेतू नियमानुसार भुमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतू आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया एवं तहसीलदार, रानी को प्रार्थना–पत्र की प्रति मय तहरीर भेजकर मौका जांच हेतु लिखा गया।

तहसीलदार, रानी द्वारा जांच रिपोर्ट कमांक/ राजस्व/ 21/ 1256 दिनांक– 09/09/2021 के जरिये प्रार्थना–पत्र के संबंध मे मौजा रानी खुर्द के ख.नं. 195, 205 व 221 मे सिंचाई हेतू पाईप लाईन डालने बाबत निरीक्षक भू.अ. रानी एवं पटवारी हल्का रानी खुर्द से रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार–

1– यह है कि मौजा रानी खुर्द के ख.नं.– 221 जो कि प्रार्थी की भूमि है मे कुआ एवं टयुब वेल खुदा हुआ है, उक्त कुआ लगभग 30–35 वर्ष पूर्व एवं टयूबवेल लगभग 20–25 वर्ष पूर्व खोदा गया है। प्रार्थी ख.नं.– 221 से पाईपलाईन ख.नं. 195, 205 मे ले जाना चाहता है।

2– उक्त कुंआ एवं ट्यूबवेल का जमाबंदी मे अंकन नही है, किन्तु नक्शा लट्ठा व खसरा गिरदावरी में कुआ एवं ट्यूबवेल का अंकन किया गया है। नक्शा एवं गिरदावरी की नकल सलंग्न है।

3– ख.नं. 195, 205 मे ले जाने हेतु पाईप लाईन ख.नं. 187 व 192 गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है व ख.नं. 217 चारागाह हेतु राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, मे से उक्त पाईप लाईन ले जाना चाहता है। निपरीक्ष भू.अ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सलंग्न है। उक्त रिपोर्ट मे पाईप लाईन डालने हेतु आवश्यक एवं दी जाने वाले स्थान की चौडाई नही दर्शा गई अतः न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार को मौका जांच रिपोर्ट मे चौडाई स्पष्ट दर्ज करने हेतू संशोधन हेतू कहा गया, जिस पर पैरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार, रानी एवं भू.अ. नि. रानी व पटवारी हल्का, रानी खुर्द की हस्ताक्षरित मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

——क्रमशः पेज– 3 पर..........

रिपोर्ट मे आवश्यक संशोधन किया जाकर पुनः पेश की गई, जो निम्न प्रकार है– निवेदन है कि बिन्दू संख्या–3 मे उल्लेखित ख.न. 192 किस्म गै.मु. राजस्व रेकर्ड अनुसार चारागाह के खाते मे दर्ज है, जो मौके पर रास्ते के उपयोग मे आ रही है। प्रस्तावित पाईप लाईन जो ख0नं0– 187 में की लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर एवं ख0नं0– 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर व ख.नं. 217 में लम्बाई 56 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर प्रस्तावित है। जो तहसीलदार, रानी की रिर्पोट मय निरीक्षक भू.अ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को शामिल पत्रावली की गई।

वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बसह सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार, रानी की जांच रिपोर्ट कमांक/ राजस्व/ 21/ 1256 दिनांक– 09/09/2021 मय निरीक्षक भू.अ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अध्ययन एवं अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया, जिसमे पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रानी खुर्द के ख0नं0– 221 मे प्रार्थी का कुआ एवं टयुबवेल खुदा हुआ है, जिसमे सिंचाई हेतू प्रर्याप्त पानी होना एवं बेरा व टयुबवेल पर कृषि विद्युत संबंध स्थापित किये हुए एवं विद्युत मोटर पम्प सेट लगे हुए होना पाया जाता है जहां से प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि मौजा रानी खुर्द के 195 व 205 की सिंचाई हेतू हेतू खसरा नं0– 221 से खसरा नम्बर– 187 व 192 गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0नं0– 195 से होते हुए खसरा नं0– 217 मे से होकर खसरा नम्बर– 205 तक प्रस्तावित मौका रिर्पोट मे बरंग लाल रेखा डोड–डोड से दर्शाये अनुसार प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन बिंछाना चाहता है। जिस हेतू खसरा नम्बर– 187 मे की लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर एवं ख0नं0– 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर व खसरा नम्बर– 217 मे लम्बाई 65 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर कुल क्षेत्रफल हैक्टर भूमि प्रभावित होती है एवं प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 195 व 205 की सिंचाई हेतू खसरा नम्बर– 221 मे स्थित बेरा एवं टयुबवेल से उक्त प्रस्तावित अनुसार भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध होना प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी की [illegible] की कृषि भूमि ग्राम रानी खुर्द के ख0नं0– 221 मे स्थित [illegible] से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा– रानी खुर्द के खसरा नम्बर– 195 व [illegible] की सिचाई हेतू अप्रार्थी राज्य सरकार की भूमि खसरा नं0– 221 से खसरा [illegible]बर– 187 व 192 गै.मु. रास्ता से होते हुए (प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0– 195 से होते हुए)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:22 IST
Reason: SelfAttested

——कमशः पेज– 4 पर..........

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

खसरा नं0– 217 मे से होकर खसरा नम्बर– 205 तक प्रस्तावित मौका रिर्पोट मे बरंग लाल रेखा डोड–डोड से दर्शाये अनुसार प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है, (जिस हेतू खसरा नम्बर– 187 मे की लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर एवं ख0नं0– 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर व खसरा नम्बर– 217 मे लम्बाई 65 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर कुल क्षेत्रफल हैक्टर भूमि प्रभावित होगी), जिसकी प्रार्थी को अपनी जोत की सिंचाई हेतू इसकी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रतीत होती है एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन नही होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन, मे मेरी विनम्र राय मे प्रस्तावित भूमिगत पाईप लाईन भूमि तल सतह से 3 फीट नीचे नीचे राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय–12 अधिनियम की धारा– 251–क के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए नियम 70 के उपनियम (1) (ii)– (ख) अनुसार प्रभावित प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल– क्षेत्रफल– 515 वर्गमीटर यानि 0.0515 हैक्टेयर की वर्तमान डीएलसी की निर्धारित व प्रभावित दर से बनने वाली राशि की 10 प्रतिशत अवधारित प्रतिकर राशि मेरे द्वारा अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित जांच रिर्पोट मय भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमिगत पाईपलाईन भूमि तल सतह से 3 फीट नीचे–नीचे बिछाने का अधिकार मंजूर किया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

–: आदेश :–

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का यह आवेदन अन्तर्गत धारा– 251–क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद ग्राम रानी खुर्द मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0– 221 जिसमे प्रार्थी के बेरा/टयुबवेल स्थित है, से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा– रानी खुर्द के खसरा नम्बर– 195 व 205 की सिंचाई हेतू अप्रार्थी राज्य सरकार की भूमि खसरा नं0– 187 किस्म गै.मु. रास्ता मे से होकर लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर, ख0 नं0–192 किस्म गै.मु. रास्तामे से होकर लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर (प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0– 1[illegible] से [illegible] हुए) खसरा नं0– 217 किस्म गै.मु.चा. मे से होकर लम्बाई 65 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर पर प्रार्थी की खातेदारी जोत खसरा नम्बर– 205 तक पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित जांच रिर्पोट मय भू0अ0 निरीक्षक रानी एवं पटवारी हल्का– रानीखुर्द की मौका रिंर्पोट मय नजरी नक्शा मे बतलाये अनुसार बरंग लाल रेखा डोट–टोट से दर्शित अनुसार भूमि तल सतह से 3 तीन फीट नीचे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested

––क्रमशः पेज– 5 पर..........

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

भूमिगत प्रस्तावित पाइप लाइन बिछाने का प्रार्थी का अधिकार प्रस्तावित / प्रभावित भूमि क्षेत्रफल – 515 वर्गमीटर यानि 0.0515 हैक्टेयर की वर्तमान डीएलसी की निर्धारित व प्रभावित दर से बनने वाली राशि की 10 प्रतिशत अवधारित प्रतिकर राशि प्रार्थी द्वारा राज्य कोष में जमा कराने पर मंजूर एंव अनुज्ञात किया जाता है, जिस अनुरूप प्रार्थी राज्य कोष में प्रतिकर राशि जमा करावे एंव प्रार्थी द्वारा उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के बाद भूमि को पुनः पूर्ववत प्रार्थी द्वारा अपने व्यय पर समतल की जावेगी। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानी यह सुनिश्चित करे ले कि प्रार्थी द्ववारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कर दी गई है, तत्पश्चात ही पाईपलाईन बिछाई जावे।

31/03/22

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर, रानी

आदेश आज दिनांक– 31 / 03 /2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर, रानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:22 IST
Reason: SelfAttested